Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या– अपीलडि./टीए/729/2006/श्रीगंगानगर

1. रूपराम पुत्र जैसाराम
2. पन्नीदेवी पुत्री जैसाराम समस्त जाति जाट निवासी 34 एलएनपी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर

–अपीलार्थीगण

बनाम

1. मोहरा देवी पत्नी श्री भगवान जाट निवासी ततारसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल निवासी सूरतगढ

–प्रत्यर्थी

2. हरकोरी पत्नी रावतराराम जाति जाट निवासी 34एलएनपी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
3. कलावती देवी
4. सरस्वती देवी
5. कमला देवी
6. रामेश्वरी देवी मृतक जरिये वारिसान–

6/1. ओमप्रकाश
6/2. कालूराम पुत्रगण सीताराम
6/3. सुमन पुत्री सीताराम

7. कृष्णा देवी
8. तुलसी देवी पुत्रियां रामलाल
9. जसवन्त
10. भागीदार पुत्रगण रामलाल
    समस्त जाति जाट निवासी 34 एलएनपी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
12. विधासागर पुत्र पृथ्वीसिंह
13. सुनील पुत्र महेन्द्रसिंह
    समस्त जाति पुनिया, निवासी सदरथाने के पीछे, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर
13. कलवन्तसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह, अधिशाषी अधिकारी, घीटालिया डिवीजन, जैसलमेर
14. सुरेन्द्रसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह पूनिया निवासी 1एफ, टेलेवाला, पी.ओ. नाईयावली, 5ई.छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर
15. श्रीमती विधादेवी पत्नी चुन्नीलाल गोदारा पृत्री पृथ्वीसिंह पूनिया, निवासी सीसवाला खुर्द ढाणी मसीतावाली हैड के पास, टिब्बी
16. लीलावती पत्नी काशीराम रणवा, एडवोकेट, निवासी 92 बी ब्लाक, श्रीगंगानगर

17. राजस्थान सरकार

–तरतीबी प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री वी. श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित

श्री आर.पी. शर्मा, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
श्री दिनेश सैन व श्री प्रशान्त सोनी, अधिवक्तागण, प्रत्यर्थीगण संख्या–1
श्री अमृतपाल सिंह, अधिवक्ता, प्रत्यर्थी सं0 2 से 10
श्री प्रदीप विश्नाई, अधिवक्ता, प्रत्यर्थी संख्या–9

निर्णय

दिनांक 19.04.2018

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21–12–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी प्रत्यर्थी संख्या–1 ने विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, करणपर के न्यायालय में अपीलार्थी एवं शेष प्रत्यर्थीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 188, 92 एवं भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 125 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर कथन किया कि एक दावा संख्या 54/88 प्रस्तुत कर कथन किया कि चक 34 एलएनपी के मु.न. 9 में 14.14बीघा, चक 45 एलएलडब्ल्यू के मु.न. 38 में 09बीघा एवं मु.न. 27 में 3.10बीघा कुल 37बीघा04बिस्वा

भूमि नानूदेवी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। नानूदेवी वादिया की संगी मौसी थी और शादी के कुछ समय पश्चात् ही वह विधवा हो गयी थी, नानूदेवी के कोई औलाद नहीं थी तथा नानूदेवी वादिया के साथ रहती थी। नानूदेवी का देहान्त दिनांक 27-02-1990 को हुआ तथा उसने अपने जीवनकाल में दिनांक 25-01-1990 में विवादित आराजी की वादिया के पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयत पंजीकृत करवाई किन्तु वसीयत के आधार पर विवादित आराजी का नामान्तरकरण वादिया के पक्ष में स्वीकार नहीं कर प्रतिवादीगण संख्या-1 से 4 के पक्ष में तस्दीक कर दिया। अतः नानूदेवी की वसीयत के आधार पर 37.04बीघा भूमि का खातेदार वादिया को घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया। प्रतिवादीगण संख्या-1 से 4 की ओर से जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर वादपत्र में अंकित कथनों को अस्वीकार करते हुए विवादित आराजी को उनकी खातेदारी की भूमि होना कथन करते हुए वादिया को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय द्वारा दावे, जवाबदावे एवं काउन्टर क्लेम के आधार पर अनुतोष सहित 11 विवाद्यक विरचित किये। तत्पश्चात् उभयपक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध करने के उपरान्त उभयपक्ष की बहस सुनकर निर्णय दिनांक 05-01-2002 से वादिया प्रत्यर्थी संख्या-1 द्वारा प्रस्तुत वाद को राजीनामा प्रदर्श-8 के अनुसार डिक्री कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध वादिया प्रत्यर्थी संख्या-1 ने राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में प्रस्तुत की गयी, जिसे उन्होंने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21-12-2005 से स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 5-1-2002 को निरस्त कर वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकार कर डिक्री कर दिया। इसी निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध अपीलार्थीगण द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एव रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि वादिया प्रत्यर्थी संख्या–1 ने विचारण न्यायालय के समक्ष मूल वाद वसीयत के आधार पर प्रस्तुत कर विवादित आराजी के घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। जबकि वादिया एवं उनके पक्षकार के मध्य वसीयत को लेकर राजीनामा प्रदर्श–8 निष्पादित हुआ, विचारण न्यायालय ने राजीनामें के आधार पर वादिया प्रत्यर्थी संख्या–1 द्वारा प्रस्तुत वाद को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है। उनका कथन है कि यदि उक्त राजीनामा सही नहीं है और धोखे में रखकर कराया है तो उक्त राजीनामा को सक्षम न्यायालय में चुनौती देनी चाहिए, जो नहीं दी गई है। ऐसी स्थिति में उक्त राजीनामा अन्तिम हो चुका है तथा वादिया प्रत्यर्थी संख्या–1 उक्त राजीनामा से इन्कार नहीं कर सकती है। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य एवं विधिक स्थिति की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि विवादित भूमि जो नानूदेवी ने क्रय की थी वह पैत्रिक सम्पत्ति को बेचकर क्रय की थी, नानूदेवी की मुत्यु के पश्चात् विवादित भूमि प्रतिवादीगण सं0–1 से 4 के नाम विरासत दर्ज हुई। उनका कथन है कि विवादित आराजी पैत्रिक भूमि होने से तथाकथित वसीयत त्रुटिपूर्ण है। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जावे तथा विचारण

न्यायालय द्वारा राजीनामें के आधार पर पारित निर्णय एवं डिक्री को बहाल किया जावे।

5. इसके विपरीत योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण संख्या-1 ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में विधिसम्मत् निर्णय पारित किये गये है, जिनमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तात्विक अनियमितता नहीं होने से पारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। उनका यह भी कथन है कि नामान्तरकरण की अपील संख्या 5/1990 में तथाकथित राजीनामा प्रस्तुत किया गया था। इन्तकाल की अपील उपखण्ड अधिकारी, करणपुर द्वारा निरस्त कर दी एवं द्वितीय अपील सम्भागीय आयुक्त, बीकानेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26-4-1994 से वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक करने के आदेश पारित किया गया, इसलिए राजीनामा प्रभाव शून्य है। उनका कथन है कि राजीनामा सहकाश्तकारों के मध्य होता है मौजूदा राजीनामा सहकाश्तकारों के मध्य नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में राजीनामा के बजाय रजिस्टर्ड वसीयत अधिक प्रभावशील है। उनका कथन है कि विवादित आराजी का बैयनामा नानूदेवी के पक्ष में हुआ था एवं नानूदेवी ने जरिये पंजीकृत वसीयत मोहरा देवी के पक्ष में विवादित आराजी बाबत् निष्पादित की गयी थी, जिसके आधार पर उनकी पक्षकार का विवादित आराजी में स्वत्व व अधिकार निहित है। उनका कथन है कि पैत्रिक भूमि नहीं होकर स्वअर्जित भूमि है, जिसके बाबत् नानूदेवी को वसीयत निष्पादित करने के पूर्ण अधिकार थे। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा इन्हीं तथ्यों एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपीलाधीन विधिसम्मत् निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई तात्विक अनियमितता एवं अवैधानिकता नहीं है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय ने तथाकथित राजीनामें के आधार पर वादिया प्रत्यर्थी संख्या-1 की ओर से प्रस्तुत वाद को आंशिक रूप से स्वीकार करने में

विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील को खारिज किया जावे।

6. अधिवक्ता अधिवक्तागण तरतीबी प्रत्यर्थीगण ने अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा उद्धरित बहस का समर्थन करते हुए अपील को स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गयी।

7. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्ताओं द्वारा की गयी बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त रिकार्ड का बारीकी से अध्ययन एवं मूल्यांकन किया।

8. अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों के एवं उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादिया ने अपने पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 25-01-1990 को मुख्य आधार बनाते हुए विचारण न्यायालय के समक्ष विवादित आराजी बाबत् घोषणा का मूल वाद प्रस्तुत किया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने समस्त साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष अंकित किया है कि पक्षकारान के बीच पूर्व में जो राजीनामा हुआ है एवं जिसे दोनों पक्षों ने स्वीकार किया है, ऐसी स्थिति में इस राजीनामें में अंकित तथ्यों के आधार पर तथाकथित वसीयत दिनांक 25-01-1990 अप्रभावित है और राजीनामे के आधार पर वाद डिक्री किया जाना न्यायोचित है। हम परीक्षण न्यायालय के इस निष्कर्ष से पूर्णतयाः सहमत है क्योंकि यह राजीनामा विवादित भूमि एवं वसीयतनामें को मूल आधार बनाते हुए दोनों पक्षों द्वारा सम्पादित किया गया है। राजीनामें में स्पष्ट उल्लेख है कि पक्षकारों के मध्य विवाद को समाप्त करवाने हेतु पक्षकार संख्या-1 नानूदेवी की वसीयत के अनुसार 45एलएनडब्ल्यू के खाता संख्या-30 सम्वत् 2045 के 12बीघा 10बिस्वा भूमि पक्षकार संख्या-1 मोहरा देवी की होगी और मोहरा देवी ही उक्त भूमि का इन्तकाल करवायेगी। चक 34एलएनपी के

खाता संख्या 15 के 14बीघा 14बिस्वा भूमि का इन्तकाल जो बतौर वारिस पक्षकार संख्या-2 के पक्ष में हो गया है, वह यथावत रखा जावेगा और मोहरा देवी इस इन्तकाल के विरूद्ध दायर अपील को वापिस ले लेगी। अतः यह स्पष्ट है कि वादी प्रत्यर्थी संख्या-1 द्वारा राजीनामें में अपनी वसीयत के आधार पर जो भूमि चाही गयी है, उस सीमा तक विचारण न्यायालय द्वारा वादी प्रत्यर्थी संख्या-1 द्वारा प्रस्तुत वाद को डिक्री किया गया है। जब तक यह राजीनामा कूटरचित अथवा विधि से बाधित सिद्ध नहीं कराया जावे, दोनों पक्षकार इस राजीनामें के विपरीत कोई कार्यवाही करने हेतु सक्षम नहीं रहते है। हमारी सुविचारित राय में परीक्षण न्यायालय द्वारा विधिसम्मत् निर्णय पारित किया गया है तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष राजीनामें को चुनौती देने का कोई आधार वादी प्रत्यर्थी संख्या-1 को नहीं था। ऐसी स्थिति में प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96(3) के प्रावधानानुसार राजीनामें के विपरीत वादी प्रत्यर्थी संख्या-1 द्वारा प्रस्तुत अपील चलने योग्य नहीं थी। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विधिक प्रावधानों के विपरीत एवं साक्ष्य की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया गया है, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

9. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21-12-2005 निरस्त किया जाता है तथा विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05-01-2002 को बहाल किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य

(वी. श्रीनिवास)
अध्यक्ष